भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3642
जिसका उत्तर 10 अगस्त, 2023 को दिया गया

सौभाग्य योजना के अंतर्गत बिजली कनेक्शन

3642. श्रीमती ज्योत्स्ना चरणदास महंत:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना-सौभाग्य के अंतर्गत देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सभी गरीब परिवारों में बिजली कनेक्शनों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) छत्तीसगढ़ के कोरबा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में उक्त योजना के अंतर्गत जिला-वार कुल कितने परिवार लाभान्वित हुए हैं;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत आबंटित निधि और इसके वास्तविक उपयोग का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार द्वारा देश के सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 24x7 विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) : भारत सरकार ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी गैर-विद्युतीकृत घरों और शहरी क्षेत्रों के सभी गरीब घरों को विद्युत कनेक्शन प्रदान करके, सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण प्राप्त करने के उद्देश्य से अक्तूबर, 2017 में प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना - सौभाग्य की शुरुआत की। सौभाग्य के तत्वावधान में, दिनांक 31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार, छत्तीसगढ़ के वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित क्षेत्रों में 18,734 घरों को छोड़कर, राज्यों द्वारा सभी घरों के विद्युतीकरण की सूचना दी गई थी। इसके बाद, सात राज्यों नामत: असम, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, मणिपुर, राजस्थान और उत्तर प्रदेश ने सूचित किया कि दिनांक 31.03.2019 से पहले अभिचिन्हित, लगभग 19.09 लाख गैर-विद्युतीकृत घर हैं, जो पहले अनिच्छुक थे लेकिन बाद में उन्होंने विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की थी। इसकी भी संस्वीकृति दी गई थी। इन सभी सात राज्यों ने दिनांक 31.03.2021 तक की स्थिति के अनुसार 100% घरों के विद्युतीकरण की सूचना दी थी। सौभाग्य के शुभारंभ के बाद से, दिनांक 31.03.2021 तक, कुल 2.817 करोड़ घरों का विद्युतीकरण किया गया है।

इसके बाद, राज्यों ने सूचित किया था कि कुछ घरों का विद्युतीकरण किया जाना शेष है, जिसके निमित्त, राज्यों ने सूचित किया कि 4.43 लाख घरों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। तद्नुसार, कुल 2.86 करोड़ घरों का विद्युतीकरण किया गया है। यह स्कीम दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त हो चुकी है। सौभाग्य पोर्टल के अनुसार, इस स्कीम की अवधि के दौरान कुल 29 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने प्रतिभागिता की। सौभाग्य के अंतर्गत देश में घरों के विद्युतीकरण के राज्य-वार ब्यौरे **अनुबंध-I** में दिए गए अनुसार हैं।

(ख) : छत्तीसगढ़ के कोरबा लोक सभा संसदीय क्षेत्र (कोरबा, कोरिया, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही* क्षेत्रों को शामिल करते हुए) में डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत विद्युतीकृत अतिरिक्त घरों सहित सौभाग्य स्कीम के शुभारंभ से लाभान्वित घरों की जिले-वार कुल संख्या निम्नानुसार हैः

जिला	सौभाग्य पोर्टल के अनुसार दिनांक 11.10.2017 से 31.03.2019 तक विद्युतीकृत घरों की संख्या	दिनांक 01.04.2019 से 31.03.2021 तक सौभाग्य के अंतर्गत शामिल अतिरिक्त घर	वर्ष 2021-22 के दौरान डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत विद्युतीकृत अतिरिक्त घर
कोरबा	30278	1004	0
कोरिया	23590	1507	187
बिलासपुर*	51156	0	**0**

* गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले को बिलासपुर जिले से अलग किया गया और फरवरी, 2020 में इसका शुभारंभ किया गया।

(ग) : सौभाग्य स्कीम के अंतर्गत किसी भी राज्य/जिले के लिए निधियों का कोई अग्रिम आवंटन नहीं किया गया है। पिछली किस्तों में जारी निधियों के रिपोर्ट किए गए उपयोग और निर्धारित शर्तों को पूरा करने के आधार पर संस्वीकृत परियोजनाओं के लिए किस्तों में निधियां जारी की गईं थी। पिछले तीन वर्षों के दौरान सौभाग्य के अंतर्गत संवितरित और उपयोग किए गए अनुदान के ब्यौरे **अनुबंध-II** पर दिए गए हैं।

(घ) : विद्युत समवर्ती सूची का विषय है तथा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के सभी उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति/वितरण मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों और/अथवा राज्य विद्युत यूटिलिटियों के कार्यक्षेत्र में आता है। भारत सरकार सभी घरों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के उद्देश्य से उनकी मदद करने के लिए अपनी विभिन्न स्कीमों के माध्यम से राज्यों के प्रयासों को सहायता प्रदान करती है।

24x7 विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटीज़) ने केंद्र सरकार के साथ दिनांक 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। कई राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अप्रत्याशित घटनाओं के कारण नियोजित कटौतियों और हस्तक्षेपों को छोड़कर 24x7 विद्युत आपूर्ति प्रदान करने का दावा करते हैं। इस संबंध में, भारत सरकार ने दिनांक 31.12.2020 की अधिसूचना द्वारा विद्युत (उपभोक्ता अधिकार) नियम, 2020 अधिसूचित किए, जिनमें वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सभी उपभोक्ताओं को 24x7 विद्युत आपूर्ति करना अनिवार्य है।

****

<u>अनुबंध-I</u>

लोक सभा में दिनांक 10.08.2023 को उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 3642 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत अतिरिक्त घरों की उपलब्धि सहित सौभाग्य स्कीम के शुभारंभ से घरों का राज्य-वार विद्युतीकरण

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	सौभाग्य पोर्टल के अनुसार दिनांक 11.10.2017 से 31.03.2019 तक विद्युतीकृत घरों की संख्या	सौभाग्य के अंतर्गत अनुमति अतिरिक्त संस्वीकृति		डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत संस्वीकृत और अतिरिक्त घर		कुल जोड़ (क+ख)
			दिनांक 01.04.2019 से 31.03.2021 तक सूचित किए गए विद्युतीकृत घरों की संख्या	दिनांक 31.03.2021 तक की स्थिति के अनुसार कुल विद्युतीकृत घर (क)	वर्ष 2021-22 के दौरान संस्वीकृत घर	विद्युतीकृत घर (दिनांक 31.03.2022 तक की स्थिति के अनुसार) (ख)	
1	आंध्र प्रदेश*	181,930	0	181,930			181,930
2	अरुणाचल प्रदेश	47,089	0	47,089	7859	0	47,089
3	असम	1,745,149	200,000	1,945,149	480249	381507	2,326,656
4	बिहार	3,259,041	0	3,259,041			3,259,041
5	छतीसगढ़	749,397	40,394	789,791	21981	2577	792,368
6	गुजरात*	41,317	0	41,317			41,317
7	हरियाणा	54,681	0	54,681			54,681
8	हिमाचल प्रदेश	12,891	0	12,891			12,891
9	जम्मू एवं कश्मीर	377,045	0	377,045			377,045
10	झारखंड	1,530,708	200,000	1,730,708			1,730,708
11	कर्नाटक	356,974	26,824	383,798			383,798
12	लद्दाख	10,456	0	10,456			10,456
13	मध्य प्रदेश	1,984,264	0	1,984,264	99722	0	1,984,264
14	महाराष्ट्र	1,517,922	0	1,517,922			1,517,922
15	मणिपुर	102,748	5,367	108,115	21135	0	108,115
16	मेघालय	199,839	0	199,839	420	401	200,240
17	मिजोरम	27,970	0	27,970			27,970
18	नागालैंड	132,507	0	132,507	7009	7009	139,516
19	ओडिशा	2,452,444	0	2,452,444			2,452,444
20	पुदुचेरी*	912	0	912			912
21	पंजाब	3,477	0	3,477			3,477
22	राजस्थान	1,862,736	212,786	2,075,522	210843	52206	2,127,728
23	सिक्किम	14,900	0	14,900			14,900
24	तमिलनाडु*	2,170	0	2,170			2,170
25	तेलंगाना	515,084	0	515,084			515,084
26	त्रिपुरा	139,090	0	139,090			139,090
27	उत्तर प्रदेश	7,980,568	1,200,003	9,180,571	334652	0	9,180,571
28	उत्तराखंड	248,751	0	248,751			248,751
29	पश्चिम बंगाल	732,290	0	732,290			732,290
कुल		**26,284,350**	**1,885,374**	**28,169,724**	**1,183,870**	**443,700**	**28,613,424**

*सौभाग्य से पूर्व विद्युतीकृत और सौभाग्य के अंतर्गत वित्त पोषित नहीं

****

<u>अनुबंध-II</u>

लोक सभा में दिनांक 10.08.2023 को उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 3642 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2022-23 के दौरान सौभाग्य स्कीम के अंतर्गत संवितरित और उपयोग किया गया राज्य-वार अनुदान

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	संवितरित और उपयोग किया गया अनुदान				
		2020-21	2021-22	2022-23	कुल	राज्यों द्वारा उपयोग की गई निधियां
1	अरुणाचल प्रदेश	0	7	0	7	7
2	असम	118	21	0	139	139
3	बिहार	17	24	0	41	41
4	छतीसगढ़	42	43	0	85	85
5	हरियाणा	0	5	0	5	5
6	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	-	-
7	जम्मू एवं कश्मीर	0	0	0	-	-
8	झारखंड	60	68	0	128	128
9	कर्नाटक	0	9	0	9	9
10	केरल	13	12	0	25	25
11	लद्दाख	0	0	0	-	-
12	मध्य प्रदेश	6	140	0	146	146
13	महाराष्ट्र	0	20	0	20	20
14	मणिपुर	12	5	0	17	17
15	मेघालय	1	19	0	20	2
16	मिजोरम	6	1	0	7	7
17	नागालैंड	0	15	0	15	15
18	ओडिशा	0	78	0	78	78
19	पंजाब	0	0	0	1	1
20	राजस्थान	101	24	0	125	125
21	सिक्किम	1	0	0	1	1
22	तेलंगाना	0	1	0	1	1
23	त्रिपुरा	0	22	0	22	22
24	उत्तर प्रदेश	52	350	0	402	402
25	उत्तराखंड	1	6	0	7	7
26	पश्चिम बंगाल	16	46	0	62	62
	कुल	**448**	**915**	**0**	**1,363**	**1,345**

टिप्पणी: सौभाग्य स्कीम अक्तूबर, 2017 में शुरू की गई थी।

****